डिक्री

...यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

...न0 – 110/2025

...नवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति विश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

:-वादीगण

वनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति विश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. विरमा पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल व वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र कडवासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 22/51 के मु0 न0 3 के किला न0 22 की 0.253है0 नहरी, किला न0 न0 23 की 0.240है0 नहरी, मु0 न0 9 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5 की 0.164है0, किला न0 6 की 0.164है0, किला न0 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15 की 0.164है0, किला न0 16 की 0.164है0, किला न0 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 25 की 0.139है0, मु0 न0 17 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.228है0, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228है0, किला न0 6/2 की 0.025है0, किला न0 7/1 की 0.228है0, किला न0 7/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, किला न0 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 13/1 की 0.215है0, किला न0 13/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 19/1 की 0.215है0, किला न0 19/2 की 0.038है0गै0 मु0 खाला, किला न0 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.215है0, किला न0 22/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 24 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 11.6610है0 जिसमें नहरी 0.493है0, बारानी 10.979है0, गै0 मु0 खाला 0.189है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाए वादी सं0 1 अशोक कुमार व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:40 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

[कार्या]लय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

[वाद सं]0 — 110/2025

[उनव]ान : —

1. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. बिरमा पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेन्द्र गोयल वादी
श्री रविन्द्र कडवासरा प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 3/6/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 22/51 के मु0 न0 3 के किला न0 22 की 0.253है0 नहरी, किला न0 न0 23 की 0.240है0 नहरी, मु0 न0 9 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5 की 0.164है0, किला न0 6 की 0.164है0, किला न0 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15 की 0.164है0, किला न0 16 की 0.164है0, किला न0 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 25 की 0.139है0, मु0 न0 17 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.228है0, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228है0, किला न0 6/2 की 0.025है0, किला न0 7/1 की 0.228है0, किला न0 7/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, किला न0 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 13/1 की 0.215है0, किला न0 13/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 19/1 की 0.215है0, किला न0 19/2 की 0.038है0, किला न0 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.215है0, किला न0 22/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 24 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 11.6610है0 जिसमें नहरी 0.493है0, बारानी 10.979है0, गै0 मु0 खाला 0.189है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:51:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हि[न्दू] [विधि व] रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें [वादी का] [एक] हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने [नाम] दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

... वकील अभिभाषकगण सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि मौजा चक 2 डीएचपी वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 2 डीएचपी के खाता सं0 22/51 के मु0 न0 3 के किला न0 22 की 0.253है0 नहरी, किला न0 न0 23 की 0.240है0 नहरी, मु0 न0 9 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5 की 0.164है0, किला न0 6 की 0.164है0, किला न0 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15 की 0.164है0, किला न0 16 की 0.164है0, किला न0 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 25 की 0.139है0, मु0 न0 17 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.228है0, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228है0, किला न0 6/2 की 0.025है0, किला न0 7/1 की 0.228है0, किला न0 7/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, किला न0 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 13/1 की 0.215है0, किला न0 13/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 19/1 की 0.215है0, किला न0 19/2 की 0.038है0, किला न0 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.215है0, किला न0 22/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 24 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 11.661है0 जिसमें नहरी 0.493है0, बारानी 10.979है0, गै0 मु0 खाला 0.189है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। **चूंकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पति में पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को उसकी सम्पति में हक मिलेगा। इस प्रकार पैतृक सम्पति में पति के जीवनकाल में पत्नी को पैतृक सम्पति में हिस्सा की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है।** इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 2 डीएचपी के खाता सं0 22/51 के मु0 न0 3 के किला न0 22 की 0.253है0 नहरी, किला न0 न0 23 की 0.240है0 नहरी, मु0 न0 9 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5 की 0.164है0, किला न0 6 की 0.164है0, किला न0 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15 की 0.164है0, किला न0 16 की 0.164है0, किला न0 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 25 की 0.139है0, मु0 न0 17 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.228है0, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228है0, किला न0 6/2 की 0.025है0, किला न0 7/1 की 0.228है0, किला न0 7/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, किला न0 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 13/1 की 0.215है0, किला न0 13/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 19/1 की 0.215है0, किला न0 19/2 की 0.038है0, किला न0 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.215है0, किला न0 22/2 की 0.038है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 24 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 11.6610है0 जिसमें नहरी 0.493है0, बारानी 10.979है0, गै0 मु0 खाला 0.189है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाए वादी सं0 1 अशोक कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:40 IST
Reason: SelfAttested

...वादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये ... है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी ... के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग ... देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त ... के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3-6-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:40 IST
Reason: SelfAttested